137

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 3106–एक/2016 – विरूद्ध आदेश दिनांक 8–9–2016 – पारित द्वारा – अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह जिला मुरैना – प्रकरण क्रमांक 117/2014–15 अपील

1– केदार 2– रामप्रकाश 3– मुन्नालाल
4– रामलखन 5– तुलाराम 6– सभाराम
सभी पुत्रगण जानकीप्रसाद वघेले
निवासी ग्राम कछपुरा मौजा छिरेरा
तहसील अम्बाह जिला मुरैना मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– प्रेमवती 2– गुडडी 3– रामदुलारी
4– रामसखी आत्मज फुन्दी वघेले
ग्राम कछपुरा मौजा छिरेरा
तहसील अम्बाह जिला मुरैना मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री यू0एस0तौमर)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री बी0एस0धाकड़)

आ दे श

;आज दिनांक 16 - 11 -2017 को पारितद्ध

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 117/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 8–9–16 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार वृत्त दिमनी तहसील अम्वाह ने प्रकरण क्रमांक 81/13–14 बी–121 में पारित आदेश दिनांक 27–12–14 से गाम खिरेट की भूमि सर्वे नंबर 93, 95, 96, 97 पर आवेदकगण

का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण कमांक 117/2014-15 अपील में सुनवाई के दौरान आवेदकगण की ओर से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन देकर मांग रखी गई कि विवादित भूमि की मौके की स्थिति का परीक्षण करके रिस्पा. के स्वत्व आधिपत्य प्रभावित न हों, इसलिये रिस्पा. को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाय। इस पर उभय पक्ष को सुनकर अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह ने अंतरिम आदेश दिनांक 8-9-16 पारित किया तथा आवेदकगण का धारा 32 का आवेदन निरस्त कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिशाषकों के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन देकर मांग रखी है कि विवादित भूमि की मौके की स्थिति का परीक्षण करके रिस्पा. के स्वत्व आधिपत्य प्रभावित न हों, इसलिये रिस्पा. को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाय। अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह ने आदेश दिनांक 8-9-16 में निष्कर्ष दिया है कि रिस्पा. द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पुराना खसरा कमांक 87 नवीन 93, 95, 96, 97 के भाग 1/2 पर अपीलांट द्वारा गलत तरीके से अपना नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करा लिया है। यह प्रकरण चूँकि अपीलांट की भूमि पर कब्जा दर्ज करने की कार्यवाही के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के औचित्य पर विचाराधीन है । अतः रिस्पाण्डेंट द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट के स्वत्व को लेकर प्रश्न करना इस प्रकरण में वांछित नहीं है। विचारोपरांत रिस्पार्डेट का दिनांक 30-8-2016 को धारा 32 MPLRC के तहत प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाता है। यह सही भी है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील इस तथ्य पर आधारित थी कि नायव तहसीलदार वृत्त दिमनी तहसील अम्वाह ने प्रकरण कमांक

81/13-14 बी-121 में पारित आदेश दिनांक 27712-14 से गाम खिरेट की भूमि सर्वे नंबर 93, 95, 96, 97 पर आवेदकगण का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये हैं, क्योंकि यह भूमि पूर्व से अनावेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अभिलेख में दर्ज चली आ रही थी, जिस पर कब्जा दर्ज कराने हेतु दिये गये आवेदन में आवेदकगण ने स्वंय् स्वीकार किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह जिला मुरैना व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 8-9-16 में किसी प्रकार की विसंगति नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह जिला मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 117/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-9-16 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर